P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-6* February- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ब्रिटिश शासन में संयुक्त प्रान्त आगरा में भू–राजस्व व्यवस्था का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभावः एक ऐतिहासिक अध्ययन

The Impact of The Land Revenue System on The Rural Economy in The United Provinces of Agra Under British Rule: A Historical Study

Paper Submission: 01/02/2021, Date of Acceptance: 13/02/2021, Date of Publication: 25/02/2021

धर्मेन्द्र सिंह बघेल
शोधार्थी
इतिहास एव संस्कृति विभाग,
डॉ0 बी0 आर0 ए0 वि0 वि0,
आगरा, उ०प्र० भारत

बी0डी0 शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर,
इतिहास एव संस्कृति विभाग,
डॉ0 बी0 आर0 ए0 वि0 वि0,
आगरा, उ०प्र०, भारत

सारांश

ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनकाल मे संयुक्त प्रान्त आगरा में मुगलकालीन भू–राजस्व व्यवस्था को समाप्त करके औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने वाली भू–राजस्व प्रणाली को लागू किया जाता रहा। संयुक्त प्रान्त आगरा में स्थायी बन्दोबस्त के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दिया गया। जमींदारों को निश्चित राजस्व का संग्रह करके ईस्ट इंडिया कम्पनी को देना होता था। जमींदारों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जाता था तथा कृषि के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इस भू–राजस्व व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि संयुक्त प्रान्त में किसान कर्ज के बोझ में दबता गया। अकाल की स्थिति में भी उससे निश्चित लगान वसूला जाता था।

Under the East India Company, the Mughal land revenue system in the United Provinces Agra was abolished and the land revenue system serving the colonial interests continued to be implemented. Ownership of land was given to the landlords under permanent settlement in the United Provinces Agra. The zamindars had to collect the fixed revenue and give it to the East India Company. Farmers were persecuted by the zamindars and no efforts were made for the development of agriculture. The consequence of this land revenue system was that in the United Provinces, the farmers was burdened with debt. Even in the event of famine, a fixed rent was charged from them.

मुख्य शब्द : संयुक्तप्रान्त आगरा, स्थाई बन्दोबस्त, महालबाड़ी, रैयतबाड़ी बिचौलिया, जमींदार, रैयत, मालगुजारी।

United Provinces of Agra, Permanent Settlement, Mahalbari, Raiyatbadi Bichalia, Zamindar, Raiyat, Malgujari.

प्रस्तावना

संयुक्त प्रान्त आगरा जब अंग्रेजों के हाथ में आया, तो उन्होंने भू–व्यवस्था एवं भू–राजस्व व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से नवीन प्रयोग किये एवं राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों को प्रश्रय प्रदान किया। जमींदार भारतीय इतिहास में पहली बार 'लैण्डलार्ड' के रूप में स्थापित हुए और उन्हें भूमिक अधिकार प्रदान किये गये। संयुक्त प्रान्त आगरा में भी मुगल साम्राज्य के अन्त और अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भू–राजस्व पद्धतियों की टोडरमल बन्दोबस्त व्यवस्था जो परम्परागत भू–व्यवस्था की पोषक थी, समाप्त हो गयी। इसके अन्तर्गत कृषक भूमि के स्वामी थे और कोई व्यक्ति भूमि में श्रेष्ठतर अधिकार नहीं रखता था।[1] गांव के मुखिया या कर उगाहने वाले मध्यवर्तियों को उनकी सेवाओं के बदले में कुछ धनराशि नकद दी जाती थी या उन्हें कुछ माफी (मालगुजारी–मुक्त) भूमि दी जाती थी जिसे सेवार्थ भूमि कहते थे। ज्यों–ज्यों ब्रिटिश राज का वर्चस्व बढ़ने लगा त्यों–त्यों ग्रामीण समुदाय मालगुजारी–एकत्रक राज्य अधिकारियों से मदद लेने लगे। परिणाम यह हुआ कि मालगुजारी एकत्र वाले ने मुखिया के अधिकार को विस्थापित कर दिया और भूमि पर स्वामित्व अधिकार ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। संयुक्त प्रान्त आगरा में अब तालुकदार

या जमींदार अंग्रेजी शासन द्वारा संरक्षित किये गये और अपने अधीन क्षेत्र के वे व्यवहारिक स्वामी माने गये।[2]

ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त प्रान्त आगरा के ग्रामों की सम्पूर्ण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था जमींदारों के शोषण का शिकार बनी रही। इस प्रक्रिया के चलते ग्रामों में शिक्षा की व्यवस्था का लगभग अभाव बना रहा। इससे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और भाग्यवादिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। आर्थिक विपन्नता भी बराबर बनी रही, इस कारपा मानव जीवन के समस्तु दोष इनमें केन्द्रित हो गये। इसका नतीजा यह इस अवधि में समाज में न केवल पारस्परिक सहयोग, सहमति, सद्भाव, सहभागिता की भावना का पूर्णतया लोप हो चुका था, बल्कि शासन शक्ति और जनता के बीच शासन की एक दृढ़ दीवार खड़ी हो गयी थी अर्थात् ग्रामीण समुदाय एवं सत्ता के बीच कोई तालमेल नहीं रहा। संयुक्त प्रान्त आगरा में ब्रिटिशकालीन भू–राजस्व पद्धतियों का ग्रामीण समाज पर प्रभाव को स्पष्ट करने हेतु ब्रिटिश राज की अधिग्रहण, भू–धारण पद्धतियों से परिचित होना आवश्यक है।

शोधकार्य का उद्देश्य

1. ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन में भू–राजस्व व्यवस्था के विविध प्रकारों का अध्ययन करना।
2. ब्रिटिश शासन में संयुक्त प्रान्त आगरा में भू–राजस्व प्रशासन का अध्ययन करना।
3. संयुक्तप्रान्त आगरा में भू–राजस्व प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

दत्त, रोमेश चन्द्र (1908), दि इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, रीड बुक्स, इस पुस्तक मे ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में आर्थिक नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। बंगाल बिहार, तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने के बाद स्थाई भू राजस्व बन्दोबस्त तथा अन्य प्रान्तों में महालबाड़ी तथा रैयतबाड़ी भूराजस्व व्यवस्था के प्रभावों का वर्ण किया गया है।

हबीब, इरफान (2013) इंडियन इकोनोमी अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल 1757–1857 इस पुस्तक में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन के 100 वर्शो में भारत में आर्थिक नीतियों के प्रभाव तथा विकास पर लेखन किया गया है।

राय, तीर्थकर (2011) दि इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (1857–1947), आक्सफोर्ड यूनीवसिटी प्रैस, नई दिल्ली इस पुस्तक को कई भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में 1707 से 1857 के बीच ब्रिटिश आर्थिक नीतियों पर लेखन किया गया है। 1857–1947 के मध्य आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। कृषि, उद्योग, संसाधनों जैसे बिन्दुओं पर लेखन किया गया है। अन्त में स्वतन्त्र भारत की अर्थ व्यवस्था पर लेखन किया गया है।

सरकार, सुमित (1983), मार्डन इंडिया (1885–1947), मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, दिल्ली। लेखन ने पुस्तक को आठ भागों में विभक्त करके ब्रिटिश शासन से जुड़े राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को सम्मिलित किया है। द्वितीय अध्याय में राजनीतिक तथा आर्थिक संरचना के विकास को 1885 से 1905 के बीच रखा गया है।

चन्द्रा विपिन (2009), आधुनिक भारत का इतिहास ओरियन्ट बुक्स, दिल्ली, इस पुस्तक में ब्रिटिश भारत में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों, ब्रिटिश नीतियों का विरोध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन पर लेखन किया गया है।

अरोरा, के.सी.(2018), स्टेग्नेशन एंड चेंज, इकोनामिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया (1875–1947), इंटर इंडिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, इस पुस्तक में ब्रिटिश शासन में भारत में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोई जनप्रिय नीतियों का निर्धारण नहीं किया गया। कृषि तथा किसानों से अधिक से अधिक आर्थिक दोहरा करना ही ब्रिटिश नीति का उद्देश्य था ।

रॉय, तीर्थकर,(2019) हाऊ ब्रिटिश रूल चेंज्ड इंडियाज ऐकोनोमी, दि पैराडॉक्स ऑफ दि राज, पालग्रेव पीवट प्रकाशन, दिल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में भूमि लगान व्यवस्था कंपनी के हितों के अनुरूप भी किसान गरीब होते गए। जमीदार तथा बिचौलिया धनी होते गए। 1858 ई व में ब्रिटिश शासन में औपपिवेशिक हितों का पूरा करना ही राजस्व नीति का उद्देश्य था।

ब्रिटिश शासन में राजस्व प्रशासन

ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पूर्व संयुक्त प्रान्त आगरा में जो परंपरागत भू–धारण पद्धतियाँ थी उसके अन्तर्गत भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। 18वीं सदी के प्रारम्भ में ही कपनी ने पुरानी भू–राजस्व व्यवस्था को तो जारी रखा। लेकिन भू–राजस्व की दरें बढ़ा दी। यह स्वाभाविक भी था। क्योंकि कपनी के खर्चे बढ़ रहे थे और भू–राजस्व ही ऐसा माध्यम था जिससे कंपनी को

अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था।[3] यद्यपि क्लाइव और उसके उत्तराधिकारी ने प्रारंभ में भू–राजस्व पद्धति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। किंतु कुछ वर्षों पश्चात् कंपनी ने अपने खचों की पूर्ति एवं अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से क्षेत्र की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा करों के निर्धारण और वसूली के लिये नई प्रकार के भू–धारण की पद्धतियों को लागू करना आरम्भ किया।[4] अंग्रेजों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित भू–धारण पद्धतियाँ अपनायी–

इजारेदारी प्रथा

इस प्रणाली को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू कराया। इस प्रथा की दो विशेषताएँ थीं–प्रथम– इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी तथा द्वितीय–सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी।

इस व्यवस्था से कंपनी को लाभ तो हुआ परंतु उनकी वसूली में अस्थिरता आई। 1771 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि एक वर्ष कर दी गई। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि प्रति वर्ष नए–नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक–से–अधिक लगान वसूलते थे।[5]

स्थायी बंदोबस्त

इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत

जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। जब तक वो एक निश्चित लगान सरकार को देते रहे तब तक उनको भूमि से पृथक् नहीं किया जा सकता था। परंतु किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी अधिकारों को छीन लिया गया। जमींदारों की किसानों से वसूल किये गए भू–राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1ध्11 भाग स्वयं रखना था। इस व्यवस्था से कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।[6]

रैयतवाड़ी व्यवस्था

टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई इस व्यवस्था अन्तर्गत सरकार ने रैयतों अर्थात् किसानों से सीधा संपर्क किया। अब रैयतों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिये गए तथा वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिये उत्तरदायी थे। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य आय में वृद्धि करने के साथ–साथ बिचौलियों (जमींदारों) के वर्ग को समाप्त करना भी था।

महालबाड़ी पद्धति

इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू कराया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल की 30 प्रतिशत भूमि आई। इस व्यवस्था में भू–राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गाँव या महाल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया, जो सामूहिक रूप से पूरे गाँव या महाल का प्रमुख होने का दावा करते थे। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गाँव के उत्पादन के आधार पर आधार पर होता था। मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान न अदा करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर दें। इस प्रकार कंपनी ने संयुक्त प्रान्त आगरा मे भू–राजस्व उगाही के लिये विभिन्न कृषि व्यवस्थाओं को अपनाया। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकतम भू–राजस्व वसूलना'' ही रत्ती भर के भलाई के लिये कार्य करना। इसी कारण धीरे–धीरे क्षेत्रीय कृषि व्यवस्था चौपट हो गई और संयुक्त प्रान्त आगरा के किसान बर्बाद होते गए।[7]

आरम्भ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भू–राजस्व के रूप में अधिकतम राशि निर्धरित करना चाहती थी। अतः संयुक्त प्रान्त आगरा में वारेन हेसिटंग्स की पद्धति को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। इसके माध्यम से जमींदार मध्यस्थों को भूमि का स्वामी तथा स्वतंत्र किसानों को अधीनस्थ रैय्यतों के रूप में तब्दील कर दिया गया। सबसे बढ़कर सरकार की राशि सदा के लिए निश्चित कर दी गयी तथा रैय्यतों को जमीदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया। राजस्व के अधिकतम निर्धारण ने ग्रामीण समुदाय को कई तरह से प्रभावित किया। इनमें से कुछ प्रभाव इस प्रकार है।

वे नकदी फसलों के उत्पादन की ओर उन्मुख हुये, परन्तु कृषि के व्यावसायीकरण के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ क्योकि इसका मुख्य अंश जमींदार और बिचौलियों को प्राप्त हुआ।[8]

भू–राजस्व की राशि अधिकतम रूप में होने के कारण किसानों के पास ऐसा कोई अधिशेष नहीं बच पाता था जिसका कि वे फसल नष्ट होने के पश्चात उपयोग कर सके। अतरू ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल एवं भुखमरी और भी बढ़ती गई। सन् 1836–37 में उत्तर भारत में विशेषतः आगरा में पड़ा भंयकर अकाल, जिसमें लगभग 80 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। आगरा का यह अकाल या चौरानवी कंपनी शासित भारत के नव – स्थापित उत्तर–पश्चिमी प्रांतों (पूर्व में सीडेड और विजय प्राप्त प्रांतों) में पड़ने वाला एक अकाल था, जिसने 25,000 वर्ग मील (65,000 किमी) क्षेत्र और 80 लाख लोगों की आबादी को प्रभावित किया था। केंद्रीय दोआब के जिलों के क्षेत्र कानपुर, इटावा, मैनपरी आगरा और कालपी में अकाल सबसे भीषण था। इसके अलावा यमुना नदी के नजदीकी कुछ जिलों, जैसे जालौन, हमीरपुर और बा भी गम्भीर संकट का सामना करना पड़ा। इस भंयकर अकाल ने सयुक्त ग्रामीण समाज के अधिकांशतः किसानों को औद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के रूप म परिवर्तित कर दिया।

जमीदारों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने में कोई रूचि नहीं थी तथा कृषक निवेश की स्थिति में नहीं थे। अतः कृषि पिछड़ती चली गयी। स्थानीय ग्रामीण जीवन पर स्थायी बंदोबस्त के परिणामस्वरूप पड़ने वाले कुप्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे।

ब्रिटिश शासन काल में संयुक्त प्रान्त आगरा के ग्रामीण समाज पर बनारस की संधि का भी व्यापक प्रभाव पड़ा।9 बनारस की सन्धियाँ सन् 1773 और 1775 में की गई थी। इन सन्धियों से बंगाल की ब्रिटिश सरकार और अवध के शासक के संबंधों को नियमबद्ध किया गया।

निष्कर्ष

18वीं सदी में संयुक्त प्रान्त आगरा ईस्ट इण्डिया कम्पनी राज के अधीन रहा। संयुक्त प्रान्त आगरा में इस अवधि में अंग्रेजों द्वारा भू–राजस्व व्यवस्था का नवीन व्यवस्था की गयी। भूमि का स्थायी प्रबन्ध जमींदारों के साथ किया गया जिन्हें भूमि के स्वामित्व का अधिकार दिया गया। इस अवधि में कम्पनी द्वारा लागू भू–व्यवस्था एकदम नई थी क्योंकि इस अवधि में भूमि पर ग्रामीण समाज का कब्जा हट गया और उसके परम्परागत अधिकार समाप्त कर दिये गये। इसके पूर्व ग्रामीण समाज ही गांव की भू–सम्पति का वास्तविक अधिकारी था। इसके तीन कारण प्रकाश में आते हैं।

प्रथम– कम्पनी अपने देश की न्यायिक और आर्थिक धारणाओ के आधार पर जमीन का बन्दोबस्त कर सकती थी। ब्रिटेन की जमींदारी प्रथा में व्यक्ति भूमि का स्वामी था, किन्तु यहां ग्राम–समुदाय को स्वामित्व प्राप्त था। द्वितीय– कम्पनी हजारों लाखों किसानों से भू–राजस्व को वसूल करने में कई कठिनाईयों का सामना करती थी और राजस्व संग्रह के कार्य में भी अधिक समय लगता था। अतः इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वह कुछ जमीदार पदा करना चाहती थी। तृतीय– नव–स्थापित कम्पनी प्रशासन की सुरक्षा के लिए कुछ वर्ग की आवश्यकता थी जो उसका समर्थन करे। इस संदर्भ में भू–राज्य के स जमीदारों का जन्म हुआ। मुखिया, पाटिल

पंचायत आदि की जगह इस काल में जमीदारी न लला। ब्रिटिशकाल में 1801 से 1920 की अवधि में संयुक्त प्रान्त आगरा में कम्पनी ने स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था लागू कर भू–धारण पद्धतियों अन्तर्गत सभी अधिकारी जमींदारों को दे दिये आर उन्हें भू–स्वामी बना दिया, जिसे लैण्डलार्ड के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। इसके तत्कालीन ग्रामीण समाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संरचना में परिवर्तन आये और इन सभी का केन्द्र जमींदार हो गया । इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज तथा पंचायत की मर्यादा तथा अधिकार विनिष्ट कर दिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *पाउलेट, पी.एल. गजेटियर ऑफ आगरा (अनु. अनिशा जोशी), पृ0 2*
2. *लूकर, एफ, द डिस्ट्रिक्ट गैंजेटियर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविन्स ऑफ आगरा एण्ड अवध, गवर्नमेन्ट प्रेस, यूनाइटेड प्रोविन्स 1975 पृश्ठ–141*
3. *सिददीकी, अशिया, एग्रेरियन चेंज इन ए नार्थन इण्डिया स्टेट (उत्तर प्रदेश 1919–1833), आक्सफार्ड एट द क्लेरेन्टम प्रेस 1973 पृष्ठ–121*
4. *पइयान जे0 एफ द टेन्योर आफ लेण्ड इन यू०पी० पृष्ठ–23।*
5. *आर्य, जगदीश, आगरा राज्य का इतिहास, पृ. 201*
6. *शर्मा, बृजकियोर, उ0प्र0 में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन, पृ. 2091*
7. *उत्तर प्रदेश रा. अभि, लखनऊ, ज्यूडिशियल रिकार्ड, फाइ नं. 311 जे/11,1925।*
8. *जनपद आगरा की औद्योगिक निर्देशिका (1994 से अद्यतन), महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जनपद–आगरा।*
9. *बनारस करसपॉन्डेन्स मई 6. 1808 पृष्ठ–125–1271*
10. *दत्त, रोमेश चन्द्र (1908), दि इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, रीड बुक्स।*
11. *हबीब, इरफान (2013) इंडियन इकोनोमिक अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल 1757–1857।*
12. *राय, तीर्थकर (2011) दि इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (1857–1947), आक्सफोर्ड यूनीवसिटीप्रैस, नई दिल्ली।*
13. *सरकार, सुमित (1983), मार्डन इंडिया (1885–1947), मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, दिल्ली।*
14. *चन्द्रा विपिन (2009), आधुनिक भारत का इतिहास ओरियन्ट बुक्स, दिल्ली,*
15. *लाल, एस0एन0, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विष्लेशण पब्लिकिंग हाउस इलाहाबाद।*
16. Randhawa, M.S., A History of Agriculture in India, Indian Council of Agricultural Research, Valume I,II and VI, New Delhi, 1980,

रिपोर्ट्स

1. *पाउलेट, पी.एल. गजेटियर ऑफ आगरा (अनु, अनिशा जोशी)*
2. *आर्य, जगदीश, आगरा राज्य का इतिहास, पृ, 201*
3. Report on the improvement of Indian agriculture (J.A. Voelcker committee) Govt. of India, Delhi, 1901.